कार्यालय उप निदेशक(निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल नौबस्ता हमीरपुर रोड,कानपुर

पत्रांकःनि0ख0का0न0(निविदा)/2011–246 दिनांकः 01.7.2011

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोलिखित कार्यो हेतु दिनांकः19.07.2011को मण्डी परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों से 3.00बजे अपरान्ह तक मुहर बन्द निविदाए आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 3.30बजे उपस्थित निविदा दाताओं या उनके प्रतिनिधियों(यदि उपस्थित हुए) के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः18.07.2011 तक(अवकाश दिवस को छोड़कर)इस कार्यालय के साथ–साथ सं0उप निदेशक(प्रशासन/विपणन)मण्डी परिषद,कानपुर एवं भारतीय स्टेट बैंक नौबस्ता कानपुर से भी प्राप्त किये जा सकते है। सामान्य जमानत धनराशि जमा का प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 धरोहर धनराशि के रूप में जो उप निदेशक(निर्माण)मण्डी परिषद, कानपुर नगर के पद नाम से बन्धक हो, जमा करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।

(1)मण्डी समिति उत्तरीपुरा क्षेत्रान्तर्गत सं0मार्ग ग्राम शाहपुर पुल में मजरा मुन्नीपुरवा से अतावा तक का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रू0–50.60लाख(2)मण्डी समिति कानपुर क्षेत्रान्तर्गत सं0मार्ग करौली से जरकला तक का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रू0–60.20 लाख (3)सं0मार्ग करौली से बेनीपुरवा का अवशेष भाग का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रू0–43.95लाख (4)सं0मार्ग जी0टी0रोड महुआ गॉव मार्ग से तिवारीपुर तक का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रू0–32.95लाख। निविदा मूल्य(वाणिज्य कर सहित) क0सं0–1व 2रू0–1700.00प्रति निविदा,क0सं0–3व 4रू0–1125.00प्रति निविदा वांछित श्रेणीः– क0सं0–1 व 2 'ब'श्रेणी क0सं0–3व 4'स'श्रेणी जमानत धनराशिः–क0सं0–1से 4 तक कार्य लागत का 10% कार्य पूर्ण करने की अवधिः– क0सं0–1 से 3 तक चार माह तथा क0सं0–4 हेतु तीन माह।

आवश्यक शर्तेः– ठेकेदारों को अनुबन्ध गठित कराने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देखी जा सकती है।

1/7/11

उप निदेशक(निर्माण)

नियम एवं शर्ते :-

1. निविदा शर्ते एवं अन्य विवरण सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में प्राप्त की जा सकती हैं।

2. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा रु. 100/- डाक व्यय अतिरिक्त देने पर पंजीकृत डाक से भेजे जा सकते हैं। परन्तु उनकी प्राप्ति का उत्तरदायित्व परिषद पर न होगा।

3. निविदा प्रपत्र निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक निर्धारित स्थानों पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में बेची जायेगी।

4. पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जनरल सिक्योरिटी जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।

5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

6. प्रत्येक निविदा के साथ पृथक-पृथक एफ0 डी0 आर0 जमा करनी होगी।

7. उपरोक्त कार्यो हेतु पृथक-पृथक निविदायें निर्धारित स्थानों में बेची जायेंगी।

8. निविदा मण्डी परिषद के पंजीकृत ठेकेदारों को ही निर्गत की जायेगी।

9. सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।

10. निविदा के साथ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर एवं रु0 1/. का रेवन्यू स्टैम्प लगाना अनिवार्य होगा।

11. वाणिज्य कर एवं आयकर के विभाग के अध्यादेश के अनुसार वाणिज्य कर/आयकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जायेगी।

12. कार्य की निविदाए प्रतिशतके रूप में मांगी गयी हैं। अलग-2 आइटमों की दरे होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. अनुबन्ध करते समय लो0 नि0 वि0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित धनराशि के स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देय होगें।

14. निविदा प्रपत्र पंजीकृत ठेकेदारो को निविदा का निर्धारित मूल्य तथा वांछित निविदा की धरोहर धनराशि की एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0/सी0 डी0 आर0 के रूप में जमा करने पर ही विक्रय की जायेगी।

15. शील्ड लिफाफे में प्राप्त निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

16. निविदा की दर में दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने (0 से 1 प्रतिशत के मध्य दर होने पर) एवं दरें शब्दों में भरी न होने पर निविदा को अवैध मानते हुये उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. शेड कार्य की निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेगी जो स्वयं शेड एवं टूल्स अपनी फैक्ट्री में बनाते हो और जिनका पंजीकरण यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 एवं निदेशक

उद्योग कार्यालय में ट्यूब्लर टूल्स शेड कार्य हेतु होगा।

18. टेण्डर में किसी भी प्रकार के निगोशियेशन नहीं किये जायेगें और टेण्डर खुलने के पश्चात् प्राप्त दरें ही अन्तिम होगी। उन्हीं के आधार पर निर्णय किये जायेगें।

19. निविदा क्रय करते समय निविदादाता द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारुप पर मण्डी परिषद में कराये जा रहे कार्यो का अनुबन्धवार विवरण अंकित करना होगा। आवंटित कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत निविदा क्रय करने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी। जिसके लिये नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. निर्माण कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति को हस्तानान्तरित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी हस्तनान्तरण प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अन्तिम देयक का निस्तारण किया जायेगा।

21. मण्डी निदेशक के आदेश संख्या : 1235 दिनांक 15-07-2003 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले खनिजों पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।

22. निविदा क्षेत्रीय कार्यालय उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद कानपुर नगर, सं० उप निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद कानपुर एवं भारतीय स्टेट बैंक नौबस्ता कानपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

उप निदेशक (निर्माण)

कार्यालय उप निदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल नौबस्ता, हमीरपुर रोड, कानपुर

पत्रांक : नि0ख0का0न0 (निविदा)/2011-246 दिनांक : 01.7.2011

प्रतिलिपि : अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियंता, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सं0 उप निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कानपुर।
3. सं0 लेखाधिकारी, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कानपुर।
4. समस्त उप निदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0......
5. जिलाधिकारी कानपुर नगर।
6. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उत्तरीपुरा, कानपुर।
7. सहायक अभियंता/अवर अभियंता, मण्डी परिषद, कानपुर नगर।
8. सहायक लेखाधिकारी/ संगणक, मण्डी परिषद, कानपुर नगर।
9. सिस्टम मैनेजर मण्डी परिषद मुख्यालय लखनऊ को वेबसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार।

1.7.11

उप निदेशक (निर्माण)